153

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, बैठक पीठ, भोपाल

P 1288-PB2-17

पुनरीक्षण क .... / 2017

हर्षल जैन आत्मज श्री डॉ. राजा भैया जैन
आयु वयस्क जाति बनिया
निवासी – एम.84ए सेक्टर, वार्ड नम्बर 01, इंद्रा नगर,
मण्डीदीप जिला रायसेन म. प्र. .... अनावेदक / पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

72

अभिभाषक श्री ...सुरेश... द्वारा आज दिनांक ...27/3/20... को पेश।
अधीक्षक

1/ म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर म.प्र.

2/ अपर कलेक्टर सीहोर, जिला सीहोर

3/ श्रीमती लक्ष्मी चौहान पत्नि श्री शैतान सिंह चौहान
निवासी– सरस्वती नगर, रसूलिया, होशंगाबाद

4/ स्व. सुंदरलाल आत्मज सीताराम
निवासी – जहांनपुर तहसील बुधनी जिला सीहोर .... उत्तरार्थीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

महोदय,

अनावेदक / पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निवेदन है :–

अनावेदक / पुनरीक्षणकर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर के द्वारा प्रकरण क 19 / स्व. निगरानी / 2015–16 पक्षकार म.प्र. शासन विरूद्ध हर्षल जैन व अन्य की स्वमेव निगरानी में दिनांक 27 / 01 / 2017 को पारित आदेश से दुखी व क्षुब्ध होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यो व आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निग0 1288–दो/17 जिला –सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश यादव उपस्थित होकर अपर कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 19/स्व0निग0/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.01.17 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार बुधनी द्वारा दिनांक 7.6.14 को अनुविभागीय अधिकारी बुधनी को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रामनगर पटवारी हल्का नंबर 15 तहसील बुधनी की भूमि खसरा नंबर 22/10 26/5 रकबा कमशः 4.00, 1.00 एकड़ प्रकरण कमांक 4/अ–19/98–99 आदेश दिनांक 16.2.99 के अनुसार सुन्दरलाल पुत्र सीताराम को आवंटित की गई थी किन्तु पटवारी द्वारा शासकीय अभिलेखों में उक्त भूमि शासकीय पटटे की न लिखी जाने के कारण विकय हो गई है तथा पटवारी द्वारा इस संबंध में तथ्य छुपाकर नामांतरण पंजी कमांक –5 दिनांक 24.4.14 को नामांतरण भी करा लिया है। शासकीय भूमि बिना कलेक्टर की अनुमति के विकय किया जाना अवैधानिक है । अतः उपरोक्त नामांतरण आदेश दिनांक 24.4.14 को पुनर्विलोकन की अनुमति लेकर उपरोक्त भूमि शासन में दर्ज कर दी गई है इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा भूमि खसरा कमांक 22/10, 26/5 रकवा कमशः 4.00, 1.00 एकड़ कुल 5.00 एकड भूमि स्थित ग्राम रामनगर पटवारी हल्का नंबर 15 तहसील बुधनी जिला सीहोर को पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 27.11.13 पुस्तक कमांक ए1 ग्रेंथ कमांक 788 दस्तावेज कमांक 488 से पूर्व स्वामी श्रीमती लक्ष्मी चौहान आयु 50 वर्ष जाति किरार निवासी सरस्वती नगर रसूलिया होशंगाबाद द्वारा पंजीकृत मुख्तयारआम अंकुश राय आत्मज स्व0 श्री नारायण सिंह आयु 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 17 रेल्वे स्टेशन के पास मंडीदीप तहसील गौहर गंज जिला रायसेन के माध्यम से कय की थी जिसके उपरांत उक्त भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था तथा उक्त नामांतरण दिनांक 2.2.14 को स्वीकारकिया गया था और नामांतरण आवेदक के पक्ष में किया गया उक्त दिनांक से खसरा खतौनी में आवेदक का नाम दर्ज चला आ रहा हे और भूमि कय करने की दिनांक से आवेदक उक्त भूमि का मालिक काबिज होकर उसका स्वतंत्र उपयोग उपभोग कर रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

3–मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदिवासी/हरिजन कृषि सहकारी समिति ग्राम रामनगर तहसील बुधनी के नाम 54.90 एकड़ भूमि शासकीय पटट्दार के रूप में दर्ज थी। राज्य शासन की नीति अनुसार तहसीलदार बुधनी के प्रकरण कमांक

4/अ–1998–99 में पारित आदेश दिनांक 16.2.99 अनुसार उपरोक्त सहाकारी समिति की भूमि 11 सदस्यों में बंटित की गई। जिसमें से सुन्दरलाल आत्मजं सीताराम चमार को भूमि खसरा नंबर 22/10, 26/5 कमशः 4.00, 1.00 एकड़ कुल 5.00 एकड भूमि आवंटित की गई थी। सुन्दरलाल पुत्र सीताराम द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के उपरोक्त भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27.4.07 द्वारा श्रीमती लक्ष्मी चौहान पत्नि शैतान सिंह चौहान को विकय कर दी जिसका नामांतरण पंजी कमांक 11 आदेश दिनांक 31.7.07 बुधनी तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया। श्रीमती लक्ष्मी चौहान ने उपरोक्त भूमि आवेदक हर्षल जैन पुत्र राजाभैया जैन निवासी इंदिरा नगर मण्डीदीप को रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27.11.13 द्वारा विकय की गई हे। जिसका नामांतरण हर्षल जैन के नाम नामांतरण पंजी कमांक 5 दिनांक 2.4.14 पर तहसीलदार बुधनी द्वारा स्वीकृत किया गया था। सुन्दरलाल से लक्ष्मी चौहान के नाम दर्ज किये गये नामांतरण पृविष्टि पर पटवारी द्वारा यह टीप अंकित की गई थी कि यह भूमि शासकीय नहीं है। तहसीलदार द्वारा बिना परीक्षण किये उपरोक्त नामांतरण स्वीकार करने में त्रुटि की है इसका उल्लेख अपर कलेक्टर जिला सीहोर द्वारा अपने आदेश में किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 19/स्व0निग0/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.01.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य